आयोजनागत

संख्या-39/2016/1748/18-4-2016-8(4)/89टी0सी0

प्रेषक,

अखिलेश कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन,
लखनऊ।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 07 अक्टूबर,2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में उ0प्र0 इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन,लखनऊ के नवीन भवन के निर्माण हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-82/यू0पी0आई0डी0/2016-17, दिनांक 05-8-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उ0प्र0 इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन, लखनऊ के नवीन भवन के निर्माण हेतु रू0 4958.50 लाख (रूपये उन्चास करोड अट्ठावन लाख पचास हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख (रू0 पन्द्रह करोड़) मात्र की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि को तत्काल आहरित कर कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के प्रबंध निदेशक के माध्यम से परियोजना प्रबंधक निर्माण इकाई-19, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

2-उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का अन्य मद में व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।

3- प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्य नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स समक्ष स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उ0प्र0 इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन, लखनऊ के नवीन कैम्पस के निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ द्वारा प्रस्तुत आगणन लागत रू0 8460.35 लाख के सापेक्ष व्यय वित्त समिति द्वारा रू0 4958.50 लाख की धनराशि मूल्यांकित की गयी है। व्यय वित्त समिति की मूल्यांकन आख्या की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4-प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृति कराया जायेगा।

5-प्रायोजना के निर्माण हेतु यदि आवश्यक हो तो प्रायोजना प्रस्ताव को संस्था के बोर्ड से अनुमोदित करा लिया जाय ताकि भविष्य में अन्यथा की स्थिति उत्पन्न न हो।

6-प्रायोजना का आगणन कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर गठित किया गया है। अत: प्रायोजना का जनपद के शिड्यूल ऑफ रेट्स पर विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम स्तर के अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

7-प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व प्रस्तावित साइनेज, अण्डर ग्राउण्ड वाटर पम्प, ओवर हेड टैंक, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, फाउण्डेन हार्टीकल्चर कार्यो की लागत का विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

8- उ0प्र0 इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन लखनऊ हेतु प्रस्तावित भवन के निर्माण में मुख्य भवन में प्रशासनिक भवन, एकेडमिक भवन, आर्ट गैलरी, हाट एवं म्यूजियम के विशिष्ट कमरों में 2494.68 वर्ग मी0 क्षेत्रफल में रू0 1375.00 प्रतिवर्ग मी0 की दर से फाल्स सीलिंग एवं कलाकृति की व्यवस्था तथा प्रशासनिक अधिकारियों हेतु मीटिंग हाल एवं गैलरी जैसे अतिरिक्त कमरों में फाल्स सीलिंग के कार्य हेतु यू0पी0आई0डी0 लखनऊ के भवन निर्माण में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों से उच्च प्रकृति की विशिष्टियों का प्रयोग किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

9- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि सक्षम अधिकारी की वास्तविक मांग पर आहरित की जायेगी तथा उक्त धनराशि केवल उपर्युक्त स्वीकृत योजना पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य मदों/अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नही किया जायेगा ।

10- परियोजना से सम्बन्धित आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं तद्नुसार प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्वि तथा उच्च विशिष्टियॉं इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्रांइग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होता है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर 03 माह के अंदर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

11- प्रायोजनान्तर्गत ट्रान्सफार्मर, लिफ्ट, वी0सी0बी0 पैनल, ए0एम0एफ0 पैनल आदि की स्थापना हेतु क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त कर नियमानुसार क्रय एवं स्थापना की कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है।

13- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/डिपार्टमेंट खाता में जमा नहीं किया जायेगा।

14- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय का नियंत्रण, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

15- व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्यतिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टेण्डर्डस ऑफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चत किया जायेगा।

16- स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016-बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बंधी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

17- स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा ।

18-स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

19- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-3 के अधीन लेखाशीर्षक-4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-104-हस्तशिल्प उद्योग-04-क्राफ्ट डिजाइन शैक्षिक संस्थान-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

20-यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-634/दस/2016, दिनांक 07-10-2016 में दी गयी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय,

(अखिलेश कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-1748(1)/18-4-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-।)सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 इलाहाबाद।

4- कोषाधिकारी, लखनऊ ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।

6- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0।

7-संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ।

8- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 उद्योग निदेशालय, कानपुर।

9-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनुभाग-3/गोपन अनुभाग-1

10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम निरंजन)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।